संख्याः 1755/2020/सीएक्स-3

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/अपर पुलिस महानिदेशक, जोन, उत्तर प्रदेश।
समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज,
पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्ध नगर,
समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

गृह(गोपन) अनुभाग-3

दिनांकः 14 जुलाई, 2020

विषयः कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम हेतु प्रदेश में **प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10.00 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक** कतिपय प्रतिबन्धों को लागू किया जाना।

महोदय,

कोविड-19 एवं संचारी रोगों की वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत एवं इसके प्रभावी नियंत्रण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि:-

सम्पूर्ण प्रदेश में उक्त के दृष्टिगत निम्न व्यवस्थाएं लागू की जाती हैं।

1. इस अवधि में (प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 05.00 बजे तक) सम्पूर्ण प्रदेश में समस्त शासकीय कार्यालय (समस्त आवश्यक सेवाओं एवं बैंको को छोड़कर) बन्द रहेंगे।
2. समस्त शहरी व ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यवसायिक प्रतिष्ठान इत्यादि बन्द रहेंगे। शेष दिवसों में इन सभी का खुलने की अवधि प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक रहेगा। सप्ताह के अन्य दिनों में होने वाली साप्ताहिक बन्दी भी **शनिवार/रविवार** को ही रखी जाएगी। शनिवार/रविवार के दिन को जो साप्ताहिक बाजार लगाए जाते हैं, उन्हें सोमवार से शुक्रवार के मध्य किसी भी दिन लगाया जा सकता है। समस्त धार्मिक स्थल इस अवधि में सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों के पालन सुनिश्चित करते हुए अवधि में खुले रह सकते हैं।
3. इस अवधि में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्थित समस्त औद्योगिक कारखानें जिनमें IT तथा ITeS (IT Enabled Services) से जुड़े उद्योग भी सम्मलित हैं चलते रहेंगे। इनमें सोशल डिस्टेन्सिंग एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रतिबन्धों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सभी औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प-डेस्क भी अनिवार्यतः स्थापित की जाएंगी।
4. इस अवधि में समस्त आवश्यक सेवाएं यथा-स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पूर्व की भांति खुले रहेंगे और इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी व डोर-स्टेप डिलेवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
5. रेलवे तथा राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का आवागमन पूर्व की भांति यथावत जारी रहेगा। रेलों से आने वाले यात्रियों के आवागमन हेतु यथावश्यक बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी।
6. अन्तर्राष्ट्रीय **(International)** एवं घरेलू **(Domestic)** हवाई सेवा यथावत जारी रहेंगी। हवाई-अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

7. मालवाहक वाहनों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राज्य राज्यमार्गो पर परिवहन जारी रहेगा एवं इनके किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे।

8. इस अवधि में जिला-प्रशासन द्वारा सफाई एवं स्वच्छता **(Sanitization)** व स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु वृहद अभियान चलाया जाएगा। इसमें शामिल सभी अधिकारी/कर्मचारी इन प्रतिबन्धों से मुक्त रहेंगे और इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे।

9. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग व सर्विलांस का अभियान चलाया जा रहा है जो यथावत चलता रहेगा एवं इनसे सम्बन्धित कार्यालय भी खुले रहेंगे। इन कार्यो में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी/कर्मचारियों को उनके पहचान-पत्र के आधार पर आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नही होगा।

10. इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्धों से मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों का पहचान-पत्र ही ड्यूटी-पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा।

11. इस अवधि में सभी वृहद निर्माण-कार्य यथा एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे।

12. प्रत्येक सार्वजनिक स्थल यथा अस्पताल, मेडिकल कालेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, चौराहों आदि पर जिला प्रशासन व पुलिस एवं नगर निकायों द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम **(PA System)** द्वारा कोविड-19 व संचारी रोगों से बचाव के सम्बन्ध मे जागरूकता कार्यक्रम व्यापक रूप से चलाया जाएगा।

13. प्रत्येक जनपद में मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त भ्रमण किया जाएगा। पुलिस टीमों/यू0पी0-112 द्वारा पेट्रोलिंग द्वारा उपरोक्त व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

14. शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की समीक्षा हेतु जिलो में तैनात नोडल अधिकारियों द्वारा पूर्व निर्धारित दायित्वों के साथ-साथ उपरोक्त दिशा-निर्देशों का भी प्रभावी पर्यवेक्षण किया जाएगा।

15. सब्जी व फलों की सभी मण्डियां व दुकानें यथावत खुली रहेंगी।

उपरोक्त दिशा-निर्देश अग्रिम आदेशों तक लागू रहेंगे।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक तदैवः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. कृषि उत्पादन आयुक्त/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
अपर मुख्य सचिव, गृह